सेवा में,

श्रीमान महोदय
राष्टीय हरित अधिकरण
नई दिल्ली

विषय :- पर्वतीय पॉवर लिमिटेड (4.8 MW) मुनार लोहारखेत परियोजना द्वारा छोड़े जाने वाले प्रतिदिन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह ई- फ़्लो मानदंडों के उल्लंघन के संबंध में एवं दिनांक 15/01/2025 की सुनवाई में निजी कारणों वश प्रत्यक्ष रूप से ना उपस्थित होने बावत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी दिनांक 15/01/2025 की सुनवाई में निजी कारणों वश प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होने में असमर्थ है। जिस हेतु आपको लिखित अवगत करा रहा है की महोदय प्रार्थी द्वारा पूर्व में समय -समय पर माननीय जिलाधिकारी बागेश्वर एवं उपजिलाधिकारी महोदय कपकोट को पत्र / ईमेल एवं व्यक्तिगत तौर पर वस्तु स्तिथि से स्वयं अवगत कराया गया था। परंतु अध्यतन तक जिला प्रशासन द्वारा उक्त परियोजना पर किसी भी प्रकार की ठोस कार्यवाही नहीं हुई जो की खेद का विषय है।

महोदय प्रार्थी द्वारा पूर्व में दि० 28/12/2023 इसी क्रम में दि० 18/01/2024, दि० 06/02/2024, 30/04/2024 ,12/06/2024, एवं दि० 23 /07/2024 (समस्त पत्र की छायाप्रति संलग्न) को पत्र देकर उक्त परियोजना पर आवश्यक कठोर कार्यवाही करने हेतु बार-बार निवेदन किया था एवं पर्याप्त सबूत (फोटोज समय दिनांक के साथ, उत्तराखंड शासनादेश की कॉपी, फर्जी डिस्चार्ज डाटा एवं अन्य दस्तावेज) भी उपलब्ध कराये गये थे।

महोदय प्रार्थी को उपजिलाधिकारी कपकोट द्वारा पत्र संख्या 683/पी0ए0-विविध /2023-24 दिनांक 30 अगस्त 2024 को मिले प्रतिलिपि पत्र (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार उक्त परियोजना से अपनी स्पष्ट आख्या यथाशीघ्र उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था तथा संबंधित कम्पनी के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।
लेकिन प्रार्थी को प्राप्त पत्र संख्या -16/सू0अ0आ0 /2024 दिनांक 28 अक्टूबर 2024 सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार प्राप्त सूचना से यह स्पष्ट है की उक्त कम्पनी द्वारा अपनी स्पष्ट आख्या उपलब्ध नहीं कराया गयी था (छायाप्रति संलग्न)

महोदय पूर्व उक्त मामले पर एक गठित जाँच समिति भी बनी थी (जाँच आख्या छायाप्रति संलग्न) जिसका प्रतिउत्तर प्रार्थी द्वारा दिनांक 23/07/2024 को उपजिलाधिकारी महोदय कपकोट को दिया गया।

महोदय उक्त मामला जब दिनांक 12/11/2024 को राष्टीय हरित राष्टीय हरित अधिकरण (NGT) नई दिल्ली में रेजिस्टर्ड हो गया था (छायाप्रति संलगन) एवं जिसमें दिनांक 25/11/2024 को प्रथम सुनवाई हुवी जिसमे उक्त कम्पनी को भी नोटिस जारी किया गया तब से दिनांक 12/12/2024 से कम्पनी जल छोड़ रही है (फ़ोटोज़ संलग्न) **जाँच आख्या आया है की उक्त कम्पनी द्वारा इनटेक (जहां से पानी लिया है) के पास कोई श्राव मापक यंत्र अधिष्ठापित नहीं किया गया है** उससे पूर्व उक्त कम्पनी न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह ई- फ़्लो मानदंडों का पालन नहीं कर रही थी। जिसका प्रार्थी द्वारा समय -समय पर अपने पत्रों के माध्यम से मय सबूत (फ़ोटोज़ इत्यादि) भी जिलाधिकारी एवं उपजिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर प्रेषत किये गये थे।
महोदय उक्त परियोजना द्वारा न्यूनतम मानक (15 प्रतिशत लीन सीजन फ़्लो का उल्लंघन) उत्तराखंड शासनादेश एवं मा० राष्टीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली (एन०जी०टी०) के आदेशों का उल्लंघन करने के कारण प्रतिवर्ष उत्तरा खंड राज्य को लगभग आर्थिक रूप से 35 से 40 लाख रु० का नुकसान हो रहा है जिसका अनुमानित आगणन प्रार्थी द्वारा अपने पत्र दिनांक 23/07/2024 को दिया गया था।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

अतः महोदय से इस पत्र के माध्यम से विनम्र निवेदन है कि उक्त कम्पनी पर्वतीय पॉवर लिमिटेड (4.8 MW)मुनार लोहारखेत के ऊपर कठोर से कठोरतम कार्यवाही कीजिएगा ताकि पर्यावरणीय संतुलन एवं नदियों में सतत जल प्रवाह बना रहे। प्रार्थी एवं समस्त तहसील कपकोट जनपद बागेश्वर के समस्त जनता आपकी आभारी रहेगी।

महोदय चेतावनी के साथ आपको सादर अवगत कराना है की प्रार्थी अनुसूचित जनजाति समाज से आता है एवं वर्तमान्न में 50% विकलांग व्यक्ति भी है प्रार्थी के घर में बूढ़े माँ बाप एवं ताऊ – ताइ की सम्पूर्ण जिम्मेदारी भी प्रार्थी पर है पूर्व में उक्त कपनी का कर्मचारी भी रह चुका है। यदि प्रार्थी को जान – माल का किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तों उक्त के संस्था के समस्त महाप्रबन्धक मेसर्स पर्वतीय पॉवर लिमिटेड (4.8 MW)मुनार लोहारखेत तहसील कपकोट जनपद बागेश्वर उत्तराखंड एवं हेड ऑफिस रायपुर छत्तीसगढ़ के समस्त महाप्रबन्धक जिम्मेदार होंगे।

दिनांक :- 13/01/2025

प्रार्थी

गणेश सिंह पंचपाल
जीतनगर, मण्डलसेरा
जिला & पोस्ट – बागेश्वर
पिन -263642
मो0 – 9627928999
ईमेल -ganeshsinghpanchpal@gmail.com

संलग्न :-

1. पत्र जिलाधिकारी महोदय बागेश्वर दि० 19/12/2024।
2. पूर्व पत्र दि०28/12/23,दि०18/01/24,दि०06/02/24, दि०30/04/2024 ,दि०12/06/2024 एवं दि०23/07/2024।
3. पत्र संख्या 683/पी0ए0-विविध /2023-24 दिनांक 30 अगस्त 2024।
4. पत्र संख्या -16/सू0अ0आ0 /2024 दिनांक 28 अक्टूबर 2024।
5. पर्वतीय पॉवर लिमिटेड (4.8 MW)मुनार परियोजना जाँच आख्या पत्रांक :-610 /सि0ख0क0 /विविध/ दिनांक 20.05.2024
6. राष्टीय हरित अधिकरण(NGT) नोटिस।
7. ई- फ़्लो मानदंडों के उल्लंघन की फ़ोटोज़ माह नवम्बर दिसंबर 2024।
8. दिनांक 12/12/2024 की जल छोड़ने की फ़ोटोज़।
9. उत्तराखंड शासनादेश संख्या 708/I/2018-05/24 (रिट)/2016 प्रेषक, राधिका झा, सचिव, उत्तराखंड शासन।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

सेवा में,

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय
जनपद -बागेश्वर

विषय :- पर्वतीय पॉवर लिमिटेड (4.8 MW)मुनार लोहारखेत परियोजना द्वारा छोड़े जाने वाले प्रतिदिन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह ई-फ़्लो मानदंडों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी द्वारा पूर्व में समय -समय पर माननीय जिलाधिकारी बागेश्वर एवं उपजिलाधिकारी महोदय कपकोट को पत्र / ईमेल एवं व्ययक्तिगत तौर पर वस्तु स्तिथि से स्वयं अवगत कराया गया था। परंतु अध्यतन तक जिला प्रशासन द्वारा उक्त परियोजना पर किसी भी प्रकार की ठोस कार्यवाही नहीं हुई जो की खेद का विषय है।

महोदय प्रार्थी द्वारा पूर्व में दि० 28/12/2023 इसी क्रम में दि० 18/01/2024, दि० 06/02/2024, 30/04/2024 ,12/06/2024, एवं दि० 23 /07/2024 (समस्त पत्र की छायाप्रति संलग्न) को पत्र देकर उक्त परियोजना पर आवश्यक कठोर कार्यवाही करने हेतु बार-बार निवेदन किया था एवं पर्याप्त सबूत (फोटोज समय दिनांक के साथ, उत्तराखंड शासनादेश की कॉपी, फर्जी डिस्चार्ज डाटा एवं अन्य दस्तावेज) भी उपलब्ध कराये गये थे।

महोदय प्रार्थी को उपजिलाधिकारी कपकोट द्वारा पत्र संख्या 683/पी०ए०-विविध /2023-24 दिनांक 30 अगस्त 2024 को मिले प्रतिलिपि पत्र (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार उक्त परियोजना से अपनी स्पष्ट आख्या यथाशीघ्र उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था तथा संबंधित कम्पनी के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।
लेकिन प्रार्थी को प्राप्त पत्र संख्या -16/सू0अ0आ0 /2024 दिनांक 28 अक्टूबर 2024 सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार प्राप्त सूचना से यह स्पष्ट है की उक्त कम्पनी द्वारा अपनी स्पष्ट आख्या उपलब्ध नहीं कराया गयी था (छायाप्रति संलग्न)

महोदय पूर्व उक्त मामले पर एक गठित जाँच समिति भी बनी थी (जाँच आख्या छायाप्रति संलग्न) जिसका प्रतिउत्तर प्रार्थी द्वारा दिनांक 23/07/2024 को उपजिलाधिकारी महोदय कपकोट को दिया गया।

महोदय उक्त मामला दिनांक 12/11/2024 को राष्टीय हरित प्राधिकरण(NGT) नई दिल्ली में रेजिस्टर्ड हो गया था (छायाप्रति संलगन) एवं दिनांक 25/11/2024 को प्रथम सुनवाई हुवी जिसमे उक्त कम्पनी को भी नोटिस जारी किया गया तब से दिनांक 12/12/2024 से कम्पनी जल छोड़ रही है (फ़ोटोज़ संलग्न) **जाँच आख्या आया है की उक्त कम्पनी द्वारा इनटेक (जहां से पानी लिया है) के पास कोई श्राव मापक यंत्र अधिष्ठापित नहीं किया गया है** उससे पूर्व उक्त कम्पनी न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह ई- फ़्लो मानदंडों का पालन नहीं कर रही थी। जिसका प्रार्थी द्वारा समय -समय पर अपने पत्रों के माध्यम से मय सबूत (फ़ोटोज़ इत्यादि) भी महोदय की सेवा में सादर प्रेषत किये गये थे।
महोदय उक्त परियोजना द्वारा न्यूनतम मानक (15 प्रतिशत लीन सीजन फ़्लो का उल्लंघन) उत्तराखंड शासनादेश एवं मा० राष्टीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली (एन०जी०टी०) के आदेशों का उल्लंघन करने के कारण प्रतिवर्ष उत्तराखंड राज्य को लगभग आर्थिक रूप से 35 से 40 लाख रु० का नुकसान हो रहा है जिसका अनुमानित आगणन प्रार्थी द्वारा अपने पत्र दिनांक 23/07/2024 को दिया गया था।

अत: महोदय से पुनः इस पत्र के माध्यम से विनम्र निवेदन है कि उक्त कम्पनी पर्वतीय पॉवर लिमिटेड (4.8 MW)मुनार लोहारखेत के ऊपर कठोर से कठोरतम कार्यवाही कीजिएगा ताकि पर्यावरणीय संतुलन एवं नदियों में सतत जल प्रवाह बना रहे। प्रार्थी एवं समस्त तहसील कपकोट जनपद बागेश्वर के समस्त जनता आपकी आभारी रहेगी।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

महोदय चेतावनी के साथ आपको सादर अवगत कराना है की प्रार्थी अनुसूचित जनजाति समाज से आता है एवं वर्तमान्न में 50% विकलांग व्यक्ति भी है प्रार्थी के घर में बूढ़े माँ बाप एवं ताऊ – ताइ की सम्पूर्ण जिम्मेदारी भी प्रार्थी पर है पूर्व में उक्त कपनी का कर्मचारी भी रह चुका है। यदि प्रार्थी को जान – माल का किसी भी प्रकार का नुकसान न होता है तों उक्त के सस्था के समस्त महाप्रबन्धक मेसर्स पर्वतीय पॉवर लिमिटेड (4.8 MW)मुनार लोहारखेत तहसील कपकोट जनपद बागेश्वर उत्तराखंड एवं हेड ऑफिस रायपुर छत्तीसगढ़ के समस्त महाप्रबन्धक जिम्मेदार होंगे।

दिनांक :- 19/12/2024

प्रार्थी

गणेश सिंह पंचपाल
सामाजिक कार्यकर्ता
जीतनगर, मण्डलसेरा
जिला & पोस्ट – बागेश्वर
पिन -263642
मो0 – 9627928999
ईमेल -ganeshsinghpanchpal@gmail.com

संलग्न :-

1. पत्र दि०28/12/23,दि०18/01/24,दि०06/02/24, दि०30/04/2024 ,दि०12/06/2024 एवं दि०23/07/2024।
2. पत्र संख्या 683/पी0ए0-विविध /2023-24 दिनांक 30 अगस्त 2024।
3. पत्र संख्या -16/सू0अ0आ0 /2024 दिनांक 28 अक्टूबर 2024।
4. पर्वतीय पॉवर लिमिटेड (4.8 MW)मुनार परियोजना जाँच आख्या पत्रांक :-610 /सि0ख0क0 /विविध/ दिनांक 20.05.2024
5. राष्टीय हरित अधिकरण(NGT) नोटिस।
6. ई- फ़्लो मानदंडों के उल्लंघन की फ़ोटोज़ माह नवम्बर दिसंबर 2024।
7. दिनांक 12/12/2024 की जल छोड़ने की फ़ोटोज़।
8. उत्तराखंड शासनादेश संख्या 708/I/2018-05/24 (रिट)/2016 प्रेषक, राधिका झा, सचिव, उत्तराखंड शासन।

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ हेतु प्रेषित द्वारा ई० मेल :-

1-श्रीमान अध्यक्ष राष्टीय अनुसूचित जनजाति आयोग नई दिल्ली।

2- श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागेश्वर।

2-श्रीमान कुमांयू कमिश्नर नैनीताल।

3 - श्रीमान सचिव पर्यावरण 85 राजपुर रोड देहरादून।

4- श्रीमान सचिव ऊर्जा सुभाष रोड देहरादून।

5- श्रीमान सचिव सिचाई विभाग देहरादून

6-उत्तरखंड प्रदूषण नियंत्रण परिषद देहरादून

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

सेवा में,

श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय
कपकोट, जनपद -बागेश्वर

विषय :- पर्वतीय पॉवर लिमिटेड (4.8MW) मुनार परियोजना द्वारा छोड़े जाने वाले प्रतिदिन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह ई फ़्लो मानदंडों के उल्लंघन के निरीक्षण गठित समिति के जाँच आख्या के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक संख्या 334/पी०ए०/2023-24 दिनांक 06 फरवरी, 2024 के क्रम में गठित समिति द्वारा दिनांक 06 मई,2024 को पर्वतीय पॉवर लिमिटेड (4.8 MW) मुनार परियोजना की जाँच की गई जिसमें शिकायत कर्ता भी उपस्थित था । समिति जाँच आख्या में जाँच अधिकारियों ने साफ- साफ अवगत कराया गया है जो की इस प्रकार है ।

- उक्त परियोजना द्वारा इनटेक (जहां से पानी लिया है) के पास कोई श्राव मापक यंत्र अधिष्ठापित नहीं किया गया है ।

उक्त कथन के अनुसार यह साफ है उक्त परियोजना किसी प्रकार से कोई डिस्चार्ज रिकार्ड नहीं रखती है हर माह फर्जी दस्तावेज बना कर शासन को प्रेषित करते आई है ।

- न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह ई फ़्लो के सम्बन्ध में पावर प्रोजेक्ट के स्थल पर उपस्थित प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि प्लांट स्टार्ट के समय उनके द्वारा इनटेक चैनल से पूरा पानी टनल में लिया जाता है । टरबाईन मशीन चलाने के उपरान्त 15 प्रतिशत लोड और कम कर विधुत उत्पादन किया जाता है । जिससे न्यूनतम 15 प्रतिशत पानी डी-टैंक से ओवर फ़्लो के रूप में नदी में वापस प्रवाहित होता है , जिसे इनटेक पर बने गेट से कंट्रोल किया जाता है । और ई- फ़्लो के रूप में मुख्य धारा / नदी में बहता रहता है ।

उक्त कथन के अनुसार उत्तराखंड शासनादेश संख्या 708/I/2018-05/24 (रिट)/2016 प्रेषक, राधिका झा, सचिव, उत्तराखंड शासन के आदेशों का अवहेलना है जिसमे साफ साफ निर्देश है कि उत्तराखंड में स्थित समस्त जल विधुत परियोजनाओं के बांध / बैराज / वियर से नदियों में संबंधित विकासकर्ताओं द्वारा मा० राष्टीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 09-08-2017, पर्यावरणीय संतुलन एवं नदियों में सतत् जल प्रवाह बनाये रखने के दृष्टिगत निरंतर न्यूनतम 15 प्रतिशत लीन सीजन फ़्लो छोड़ना सुनिश्चित किया जायेगा ।(छायाप्रति संलग्न) जबकि उक्त परियोजना द्वारा वियर (जहां से पानी लिया है) वहाँ से 15 प्रतिशत सतत् जल प्रवाह न छोड़ कर डी-टैंक से ओवर फ़्लो के रूप में जल छोड़ने का दावा करती है ।

- निरीक्षण की तिथि को स्थल पर श्राव मापक यंत्र अधिष्ठापित न होने के कारण Area Velocity विधि द्वारा स्थल पर श्राव मापन किया गया । सरयू नदी में इनटेक चैनल (वियर/जहां से पानी लिया है) से पूर्व 50.65 Cusec श्राव आंकलित किया गया । जबकि इनटेक चैनल से ई- फ़्लो के रूप में बह रहें श्राव का मापन 12.65 Cusec आँका गया ।

उक्त कथन के अनुसार पावर प्रोजेक्ट के स्थल पर उपस्थित प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि प्लांट स्टार्ट के समय उनके द्वारा इनटेक चैनल से पूरा पानी टनल में लिया जाता है । जबकि पर्यावरणीय संतुलन एवं नदियों में सतत् जल प्रवाह बनाये रखने के उत्तराखंड शासनादेश है कि दृष्टिगत निरंतर न्यूनतम 15 प्रतिशत लीन सीजन फ़्लो छोड़ना सुनिश्चित किया गया है जोकि भी उत्तराखंड शासनादेश की अवहेलना है ।

क्रमशः:1-3

23-07-24

- शिकायत कर्ता श्री गणेश सिंह पंचपाल निवासी जीतनगर, मण्डलसेरा, बागेश्वर द्वारा मशीन द्वारा लोड के अनुसार लिये जा रहे डिस्चार्ज की गणना किया जाने हेतु बताया गया।

उक्त कथन के अनुसार पावर प्रोजेक्ट के स्थल पर उपस्थित प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि प्लांट स्टार्ट के समय उनके द्वारा इनटेक चैनल से पूरा पानी टनल में लिया जाता है। टरबाईन मशीन चलाने के उपरान्त 15 प्रतिशत लोड और कम कर विधुत उत्पादन किया जाता है। जिससे न्यूनतम 15 प्रतिशत पानी डी-टैंक से ओवर फ़्लो के रूप में नदी में वापस प्रवाहित होता है , जिसे इनटेक पर बने गेट से कंट्रोल किया जाता है। और ई- फ़्लो के रूप में मुख्य धारा / नदी में बहता रहता है।

जो प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत उस की मोके पर पुष्टि कराने हेतु शिकायत कर्ता द्वारा कहा गया लेकिन उसकी पुष्टि नहीं कराया गया।

महोदय जाँच अधिकारियों द्वारा जाँच आख्या में पर्वतीय पॉवर लिमिटेड (4.8 MW) मुनार परियोजना में विधुत उत्पादन हेतु लोड के अनुसार मशीन द्वारा लिये जा रहे डिस्चार्ज के आंकलन की पुष्टि Electrical / Mechanical Engineer से कराया जाना उचित प्रतीत होता है ऐसा आपको अपने पत्र पत्रांक :-610 /सि0ख0क0 /विविध / दिनांक 20.05.2024 को अवगत कराया गया था।(छायाप्रति संलग्न)

महोदय जाँच आख्या के अनुसार यह साफ है उक्त परियोजना किसी प्रकार से कोई डिस्चार्ज रिकार्ड नहीं रखती है फर्जी दस्तावेज बना कर ऊर्जा विभाग, शासन को हर माह प्रेषित करते आई है। उत्तराखंड शासनादेश एवं मा० राष्टीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) के आदेशों का उल्लंघन करती आई है। जिसके पर्याप्त सबूत (फ़ोटोज़ समय दिनांक के साथ, उत्तराखंड शासनादेश की कॉपी, फर्जी डिस्चार्ज डाटा एवं अन्य दस्तावेज) प्रार्थी द्वारा आपको पूर्व में भी दिनांक 28/12/2023, 18/01/2024, 06/02/2024, 30/04/2024, 12/06/2024 पत्रों एवं ईमेल द्वारा आपको अवगत कराया गया था।

महोदय उक्त परियोजना द्वारा न्यूनतम 15 प्रतिशत लीन सीजन फ़्लो का उल्लंघन (उत्तराखंड शासनादेश एवं मा० राष्टीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) के आदेशों का उल्लंघन) करने के कारण उत्तराखंड पॉवर कारपोरेशन देहरादून (UPCL) को प्रतिवर्ष लगभग 35 लाख रु० अतिरिक्त भुगतान उक्त परियोजना को करना पड़ता है और उक्त परियोजना वर्ष 2008 से विधुत उत्पादन करते आया है इससे लगभग 16 वर्षों में 5 से 6 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान परियोजना द्वारा लिया गया है। एवं नदियों में सतत् जल प्रवाह नहीं बनाये रखने पर पर्यावरणीय संतुलन तों बिगड़ ही रहा है।

<u>अनुमानित आगणन 15% जल नहीं छोड़ने के कारण</u> :-

- 22.12 MU Average Generation per year (Data records as per company web site)
- 4 month Raining season (July to October) plant Running full capacity Average Generation is 4.8MW*24hrs*30 days *4month= 13.82MU.
- Average Generation per year - 4 month Raining season Average Generation (22.12-13.82=8.3MU), Note -1MU =1000000units.

Scanned with OKEN Scanner

क्रमश:3-3

- Lean season flow (8months) Amount paid by UPCL 23655000Rs -15% Amount Minimum maintain flow as per Uttarakhand Government order total extra amount paid by UPCL to company **Average Amount is 3548250Rs per year.**

अतः महोदय से पुनः इस पत्र के माध्यम से निवेदन है उक्त मामले में अब अतिशीघ्र ही उक्त परियोजना पर आवश्यक कठोर कार्यवाही कीजिएगा ।

दिनांक :- 23/07/2024

भवदीय

गणेश सिंह पंचपाल
जीतनगर, मण्डलसेरा
जिला & पोस्ट – बागेश्वर
पिन -263642
मो0 – 9627928999
ईमेल -ganeshsinghpanchpal@gmail.com

संलग्न :-

1. पर्वतीय पॉवर लिमिटेड (4.8 MW)मुनार परियोजना जाँच आख्या पत्रांक :-610 /सि0ख0क0 /विविध / दिनांक 20.05.2024 ।
2. उत्तराखंड शासनादेश संख्या 708/I/2018-05/24 (रिट)/2016 प्रेषक, राधिका झा, सचिव, उत्तराखंड शासन ।

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ हेतु प्रेषित द्वारा ई० मेल :-

1-श्रीमान जिलाधिकारी महोदया बागेश्वर।

Scanned with OKEN Scanner

सेवा में,

श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय
कपकोट , जनपद -बागेश्वर

विषय :- पर्वतीय पॉवर लिमिटेड (4.8 MW) मुनार लोहारखेत परियोजना द्वारा छोड़े जाने वाले प्रतिदिन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह ई- फ़्लो मानदंडों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक संख्या 334/पी०ए०/2023-24 दिनांक 06 फरवरी, 2024 के अनुसार एक जाँच समिति गठित की गई थी जिसके द्वारा जाँच आख्या एक सप्ताह अंतर्गत अनिवार्य रूप से जाँच कर आपके कार्यालय को अवगत कराने हेतु निर्देश दिये गये थे ।(छायाप्रति संलग्न) लेकिन इसी क्रम में दिनांक 06 मई, 2024 को जाँच समिति द्वारा उक्त परियोजना की जाँच की गई थी जिसमें प्रार्थी भी जाँच के दिन मौके पर मौजूद था। महोदय प्रार्थी के पास जाँच के दिन की सुबह समय 08:23AM पर्याप्त सबूत (फ़ोटोज़)है जिसमें साफ- साफ दिख रहा है उक्त परियोजना न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह ई- फ़्लो मानदंडों का पालन नहीं कर रही है (छायाप्रति संलग्न) एवं जब जाँच समिति मौके पर पहुंची समय 12:19 PM से समय 14:05PM तक इनटेक (वियर /जहां से पानी लिया है) से पानी छोड़ने हेतु उक्त परियोजना को जबरन बंद कर दिया गया था ताकि मौके पर न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह ई- फ़्लो बहता दिखाई दे ।(फ़ोटोज़ संलग्न दिनांक एवं समय के साथ) **महोदय से निवेदन है कि उक्त परियोजना की गठित समिति जाँच आख्या की प्रतिलिपि प्रार्थी को भी उपलब्ध कराने का कष्ट कीजिएगा।**
महोदय अधतन भी परियोजना न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह ई- फ़्लो मानदंडों का पालन नहीं कर रही है (माह मई व जून 2024 की फोटोज समय व दिनांक सहित छायाप्रति संलग्न) जिसकी लिखित सूचना पूर्व में प्रार्थी द्वारा आपको दि०28/12/2023 इसी क्रम में दि० 18/01/2024 , दि० 06/02/2024 एवं 30/04/2024 को दी गयी एवं साथ पर्याप्त सबूत (फोटोज,समय दिनांक के साथ,दस्तावेज आदि) भी प्रेषित किये गये थे। प्रार्थी द्वारा दिये गये सबूतों की आप चाहें तो जाँच भी करा सकतें है एवं अगर आप चाहें तों इंटरनेट के माध्यम से अपने मोबाईल, लैपटॉप/डेस्क टॉप पर गूगल अर्थ उपग्रह द्वारा लि गई फ़ोटोज़ जिसमें साफ साफ दिख भी रहा है उक्त परियोजना न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह ई- फ़्लो मानदंडों का पालन नहीं कर रही है आप देख भी सकते है। (छायाप्रति संलग्न)

अतः महोदय से पुनः इस पत्र से निवेदन है की उक्त परियोजना पर उचित कार्यवाही कीजिएगा ताकि पर्यावरणीय संतुलन एवं नदियों में सतत जल प्रवाह बना रहें एवं मा० राष्टीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) एवं उत्तराखंड शासन के आदेशों का पालन हो।

प्रार्थी

दिनांक :- 12/06/24

गणेश सिंह पंचपाल
जीतनगर, मण्डलसेरा
जिला & पोस्ट – बागेश्वर पिन -263642
मो0 – 9627928999
ईमेल-ganeshsinghpanchpal@gmaill.com

क्रमशः 1-2

12/06/24

Scanned with OKEN Scanner

संलग्न :-

1- आपके कार्यालय पत्रांक संख्या 334/पी०ए०/2023-24 दिनांक 06 फरवरी, 2024 ।
2- ई- फ़्लो मानदंडों के उल्लंघन की फ़ोटोज़ दिनांक 06/05/2024 समय 08:23 AM ।
3- समय 12:19 PM से समय 14:05PM जाँच के दिन दिनांक 06/05/24 की फ़ोटोज़ ।
4- पत्र दि०28/12/2023,दि०18/01/2024,दि० 06/02/2024 एवं 30/04/2024 ।
5- ई- फ़्लो मानदंडों के उल्लंघन की फ़ोटोज़ माह मई,जून 2024 का समय एवं दिनांक अनुसार ।
6- गूगल उपग्रह की फ़ोटोज़ साथ लोकैशन ।
7- मा० राष्टीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) एवं उत्तराखंड शासन आदेश ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित द्वारा ई०मेल :-

1- जिलाधिकारी महोदया बागेश्वर ।
2- अध्यक्ष महोदय , पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उत्तराखंड देहरादून ।
3- अध्यक्ष महोदय , यू0जे0वी0एन0लि0 देहरादून ।
4- निदेशक महोदय ऊर्जा सैल, उत्तराखंड देहरादून ।
5- संयुक्त सचिव महोदय (हाइड्रो), ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली ।
6- संयुक्त सचिव महोदय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली ।
7- संयुक्त सचिव महोदय, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षक मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली
8- अध्यक्ष महोदय, केंद्रीय जल आयोग ।
9- अध्यक्ष महोदय, राष्टीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) नई दिल्ली ।

Scanned with OKEN Scanner

सेवा में,

श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय
कपकोट, जनपद -बागेश्वर

विषय :- पर्वतीय पॉवर लिमिटेड (4.8 MW)मुनार लोहारखेत परियोजना द्वारा छोड़े जाने वाले प्रतिदिन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह ई- फ़्लो मानदंडों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रार्थी द्वारा आपको पत्र एवं ईमेल द्वारा दि० 28/12/2023 इसी क्रम में दि० 18/01/2024 एवं दि० 06/02/2024 को आपको सूचित एवं उक्त मामले पर उक्त परियोजना पर उचित कार्यवाही करने हेतु आग्रह किया गया था। लेकिन महोदय अधतन उक्त परियोजना न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह ई- फ़्लो मानदंडों का पालन नहीं कर रही है। जबकि प्रार्थी द्वारा आपको सबूत (फ़ोटोज़) भी आपको दिये गये थे एवं राष्टीय हरित अधिकरण(NGT) व उत्तराखंड शासन आदेश जिसमे 15% लीन सीजन फ़्लो छोड़ना सुनिश्चित भी किया गया है आदेश की प्रति भी संलग्न कर दी गई एवं उक्त परियोजना द्वारा फर्जी रिकार्ड छोड़े गये जल प्रवाह का विवरण वर्ष 2022 -2023 भी संलग्न किया था। महोदय अधतन उक्त परियोजना किसी भी प्रकार से न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह ई- फ़्लो मानदंडों का पालन नहीं कर रही है।

महोदय प्रार्थी द्वारा सूचना के अधिकार में अपने दिये गये पत्रों पर अधतन क्या कार्यवाही की गई सूचना माँगी तब दि० 18/04/2024 को प्राप्त पत्र आपके कार्यालय से तब पता चला आपके द्वारा एक जाँच समिति गठित की गई थी जिसके द्वारा अधतन किसी प्रकार की जाँच नहीं की गई है एवं प्रार्थी को उक्त जाँच पत्र की प्रतिलिपि भी नहीं प्राप्त हुई थी।

अतः आपसे पुनः इस पत्र से निवेदन है की उक्त परियोजना पर उचित कार्यवाही कीजिएगा ताकि पर्यावरणीय संतुलन एवं नदियों में सतत जल प्रवाह बना रहें।

प्रार्थी

दिनांक :- 30/04/2024

गणेश सिंह पंचपाल
जीतनगर, मण्डलसेरा
जिला & पोस्ट – बागेश्वर
पिन -263642
मो0 – 9627928999
ईमेल -ganeshsinghpanchpal@gmaill.com

संलग्न :-
1- पत्र दि० 28/12/23, दि०18/01/24, दि०06/02/24
2- उत्तराखंड शासन आदेश दि० 5 जून,2018
आदेश संख्या – 708/(2)/I/2018-05/24(रिट)/2016
3- ई- फ़्लो मानदंडों के उल्लंघन की फ़ोटोज़।
माह फरवरी, मार्च व अप्रैल 2024
4-गूगल उपग्रह की फ़ोटोज़।

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ हेतु प्रेषित द्वारा ई० मेल :-
1-श्रीमान जिलाधिकारी महोदया बागेश्वर।

30/4/24

सेवा में,

श्रीमान उपजिलाधिकारी
कपकोट, जनपद – बागेश्वर

विषय :- पर्वतीय पॉवर लिमिटेड (4.8MW) मुनार लोहारखेत परियोजना द्वारा छोड़े जाने वाले प्रतिदिन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह ई- फ़्लो मानदंडों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रार्थी द्वारा आपको दि० 28/12/2023 एवं दि० 18/01/2024 पत्र व ई०मेल द्वारा आपको सूचित किया गया था लेकिन परियोजना न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह ई- फ़्लो मानदंडों का पालन नहीं कर रही है। जबकि कागजों पर फर्जी तरीके से उक्त परियोजना प्रतिदिन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह छोड़ने का दावा करती है।

महोदय मा० राष्टीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) व उत्तराखंड शासन के आदेश दि० 5 जून,2018, संख्या -708/(2)/I/2018-05/24(रिट)/2016 के अनुसार 15% लीन सीजन फ्लो छोड़ना सुनिश्चित भी किया गया है।

अतः महोदय से इस पत्र से पुनः निवेदन है की उक्त मामले पर उचित कार्यवाही कीजिएगा ताकि पर्यावरणीय संतुलन एवं नदियों में सतत जल प्रवाह बना रहें।

दिनांक - 06/02/24

प्रार्थी

[signature]

गणेश सिंह पंचपाल
जीतनगर, मण्डलसेरा
जिला & पोस्ट -बागेश्वर
पिन – 263642
मो० 9627928999

संलग्न :-

1-पत्र दि० 28/12/2023, दि० 18/01/2024 ।
2-परियोजना द्वारा छोड़े गये जल प्रवाह का विवरण वर्ष 2022 -23।
3-उत्तराखंड शासन आदेश दि० 5 जून,2018,
आदेश संख्या -708/(2)/I/2018-05/24(रिट)/2016।

6.2.24

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित द्वारा ई०मेल :-

1. श्रीमान जिलाधिकारी महोदया बागेश्वर।

सेवा में,

श्रीमान उपजिलाधिकारी
कपकोट, जनपद – बागेश्वर

विषय :- पर्वतीय पॉवर लिमिटेड (4.8MW) मुनार लोहारखेत परियोजना द्वारा छोड़े जाने वाले न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह ई- फ़्लो मानदंडों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उक्त कंपनी द्वारा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह ई- फ़्लो मानदंडों के उल्लंघन किया जा रहा है जबकि कागजों पर उक्त परियोजना न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह छोड़ने का दावा करती है।
महोदय प्रार्थी द्वारा आपको दिनांक 28/12/2023 को पत्र व ई०मेल द्वारा आपको सूचित किया गया था लेकिन अघतन परियोजना न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह ई- फ़्लो मानदंडों का पालन नहीं कर रही है।
अतः महोदय से पुनः निवेदन है की उक्त मामले पर उचित कार्यवाही करने की कृपा करे।

दिनांक - 18/01/2024

प्रार्थी

गणेश सिंह पंचपाल
जीतनगर, मण्डलसेरा
जिला & पोस्ट -बागेश्वर
पिन – 263642
मो० 9627928999
ई०मेल – ganeshsinghpanchpal@gmail.com

संलग्न :-

1. पत्र दिनांक 28/12/2023।
2. वर्तमान फ़ोटोज़।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित द्वारा ई०मेल :-

1. श्रीमान जिलाधिकारी महोदया बागेश्वर।
2. श्रीमान अध्यक्ष केंद्रीय जल आयोग।

18-01-24

Scanned with OKEN Scanner

सेवा में,

श्रीमान उप जिलाधिकारी
कपकोट ,जनपद – बागेश्वर

विषय :- पर्वतीय पॉवर लिमिटेड (4.8 MW) मुनार ,कपकोट कंपनी द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 एवं केंद्र सरकार की ई-प्रवाह अधिसूचना अक्टूबर 2018 जल विद्युत कंपनिया को न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह ई-फ्लो मानदंडों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयानुसार उक्त विधुत कंपनी द्वारा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह ई-फ्लो मानदंडों का उल्लंघन किया जा रहा है जबकि सभी जलविद्युत परियोजनाओं को सभी मौसमों के दौरान न्यूनतम मात्रा में पानी छोड़ना अनिवार्य कर दिया गया लेकिन उक्त जल विधुत परियोजना द्वारा जल नहीं छोड़ा जा रहा है, जिस कारण नदी का जल जीवन भी प्रभावित हो रहा है।
महोदय से निवेदन है की उक्त मामले जाँच व उक्त विधुत परियोजना पर उचित कार्यवाही कीजिएगा।

दिनांक – 28/12/2023

प्रार्थी

गणेश सिंह पंचपाल
जीतनगर, मण्डलसेरा
जिला & पोस्ट- बागेश्वर
पिन -263642
मो० 9627928999
ई० मेल०- ganeshsinghpanchpal@gmaill.com

संलग्न :-
1. फ़ोटोज़

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित द्वारा ई० मेल :-
1. श्रीमान जिलाधिकारी महोदया बागेश्वर।
2. श्रीमान अध्यक्ष केंद्रीय जल आयोग

28/12/23

संलग्नक – 10 ।

अनुरोध को सूचना देने संबंधी प्रपत्र।

कार्यालय लोक सूचना अधिकारी /उप जिलाधिकारी कपकोट।

संख्या – 16 /सू0अ0अ0/2024 दिनांक 28 अक्टूबर 2024 ।

सेवा में ,

श्री गणेश सिंह पंचपाल
पुत्र बाला सिंह पंचपाल
ग्राम जीत नगर मण्डलसेरा।
पो0 व तहसील व जिला बागेश्वर।

विषय –सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध मे।

कृपया आपका अनुरोध पत्र दिनांक 16.10.2024 जो अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्राप्त है। अनुरोध पत्र के बिन्दु संख्या – 04(क) में आपके द्वारा उप जिलाधिकारी कार्यालय पत्र संख्या– 683 /पी0ए0– विविध /2023–24 दिनांक 30 अगस्त 2024 से प्रवन्धक पर्वतीय पॉवर लिमिटेड कपकोट को अपनी स्पष्ट आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। के संबंध में सूचना चाही गयी थी। बिन्दु संख्या – 04(क) से संबंधित सूचना निम्नवतः है–

1– बिन्दु संख्या – 04(क) अनुरोध पत्र के विन्दु संख्या –04(क) में अवगत कराना है कि उप जिलाधिकारी कार्यालय पत्र संख्या– 683 /पी0ए0– विविध /2023–24 दिनांक 30 अगस्त 2024 से प्रवन्धक पर्वतीय पॉवर लिमिटेड कपकोट को अपनी स्पष्ट आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। परन्तु आतिथि तक संबंधित कम्पनी द्वारा आख्या अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को अपनी स्पष्ट आख्या उपलब्ध नही कराई गयी है। अनुरोध पत्र के बिन्दु 04(क) के संबंध में सूचना धारित नही है।

इस आदेश के अन्तर्गत दी गयी जानकारी से यदि आप असंतुष्ट हो तो, आदेश प्राप्त की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवतः है। अपील दायर कर सकते है।

अपीलीय अधिकारी का नाम /पता ।
जिलाधिकारी
बागेश्वर।

लोक सूचना अधिकारी /
उप जिलाधिकारी
कपकोट।

संलग्नक – 10 ।
अनुरोध को सूचना देने संबंधी प्रपत्र।
कार्यालय लोक सूचना अधिकारी / उप जिलाधिकारी कपकोट।
संख्या – 16 / सू0अ0अ0 / 2024 दिनांक 28 अक्टूबर 2024 ।

सेवा में ,

श्री गणेश सिंह पंचपाल
पुत्र बाला सिंह पंचपाल
ग्राम जीत नगर मण्डलसेरा।
पो0 व तहसील व जिला बागेश्वर।

विषय –सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध मे।

कृपया आपका अनुरोध पत्र दिनांक 16.10.2024 जो अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्राप्त है। अनुरोध पत्र के बिन्दु संख्या – 04(क) में आपके द्वारा उप जिलाधिकारी कार्यालय पत्र संख्या– 683 / पी0ए0– विविध / 2023–24 दिनांक 30 अगस्त 2024 से प्रवन्धक पर्वतीय पॉवर लिमिटेड कपकोट को अपनी स्पष्ट आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। के संबंध में सूचना चाही गयी थी। बिन्दु संख्या – 04(क) से संबंधित सूचना निम्नवतः है–

1– बिन्दु संख्या – 04(क) अनुरोध पत्र के विन्दु संख्या –04(क) में अवगत कराना है कि उप जिलाधिकारी कार्यालय पत्र संख्या– 683 / पी0ए0– विविध / 2023–24 दिनांक 30 अगस्त 2024 से प्रवन्धक पर्वतीय पॉवर लिमिटेड कपकोट को अपनी स्पष्ट आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। परन्तु आतिथि तक संबंधित कम्पनी द्वारा आख्या अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को अपनी स्पष्ट आख्या उपलब्ध नही कराई गयी है। अनुरोध पत्र के बिन्दु 04(क) के संबंध में सूचना धारित नही है।

इस आदेश के अन्तर्गत दी गयी जानकारी से यदि आप असंतुष्ट हो तो, आदेश प्राप्त की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवतः है। अपील दायर कर सकते है।

अपीलीय अधिकारी का नाम / पता ।
जिलाधिकारी
बागेश्वर।

लोक सूचना अधिकारी /
उप जिलाधिकारी
कपकोट।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

(पंजीकृत)

संलग्नक – 10

अनुरोध को सूचना देने संबंधी प्रपत्र ।

कार्यालय लोक सूचना अधिकारी /उप जिलाधिकारी कपकोट।
संख्या –12/रीडर/2024 दिनांक 28 जून 2024 ।

सेवा में,

गणेश सिंह पंचपाल,
निवासी – जीत नगर मण्डलसेरा.
तहसील व जिला बागेश्वर।

विषय – सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना चाहने के संबंध मे।

कृपया अधोहस्ताक्षरी को संबोधित अपने सूचना अनुरोध पत्र दिनांक 12.06.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके द्वारा मॉगी गयी सूचना का विवरण निम्नवतः है।

बिन्दु संख्या – 04 (क) के संबंध अवगत करना है कि अधिशासी अभियन्ता सिचाई खण्ड कपकोट के कार्यालय पत्र संख्या –610/सि0ख0क0/विविध /दिनांक 20.05.2024(एक प्रति) अधिशासी अभियन्ता जल निगम बागेश्वर एवं अधिशासी अभियन्ता सिचाई खण्ड कपकोट संयुक्त निरीक्षण (एक प्रति) संयुक्त निरीक्षण में उपस्थित का विवरण (एक प्रति)

इस आदेश के अन्तर्गत दी गयी जानकारी से यदि असंतुष्ट हो तो , आदेश की प्राप्त की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवतः है, अपील दायर कर सकते है।

अपीलीय अधिकारी का पंता।
जिलाधिकारी
बागेश्वर।

लोक सूचना अधिकारी /
उप जिलाधिकारी
कपकोट।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

आधार शक्तेः स्त्रोतः सिंचनम्

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड कपकोट

E Mail : eeidkapkot18@gmail.com
Phone : 05963253072

आज़ादी का अमृत महोत्सव

पत्रांक :– 610 /सि0ख0क0/ विविध/ दिनांक :–20 .05.2024

प्रेषित,

उपजिलाधिकारी
कपकोट

विषय– पर्वतीय पॉवर लिमिटेड (4.8 MW) मुनार परियोजना द्वारा छोडे जाने वाले प्रतिदिन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह ई–फ्लो मानदंडों के उल्लंघन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ –आपका कार्यालय पत्र संख्या 334/पी0ए0/2023–24 दिनांक 06.02.2024

महोदय,

आपके उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में पर्वतीय पॉवर लिमिटेड (4.8 MW) परियोजना द्वारा छोडे जाने वाले प्रतिदिन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह ई–फ्लो मानदंडों के उल्लंघन के सम्बन्ध में दिनांक 06.05.2024 को सरयू नदी पर बने इनटेक का निरीक्षण गठित समिति द्वारा किया गया जिसकी जांच आख्या संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक– जांच आख्या 01 नग।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, कपकोट

P.A

Kap

Scanned with OKEN Scanner

पर्वतीय पॉवर लिमिटेड (4.8 MW) मुनार परियोजना जांच आख्या

पर्वतीय पॉवर लिमिटेड (4.8 MW) मुनार परियोजना द्वारा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह ई–फ्लो के उल्लंघन के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड कपकोट, सहायक अभियन्ता, जल निगम बागेश्वर, एवं तहसीलदार कपकोट द्वारा परियोजना के सरयू नदी पर बने इनटेक (जहां से पानी लिया है) का निरीक्षण दिनांक 06.05.2024 को किया गया। पर्वतीय पॉवर लिमिटेड द्वारा इनटेक के पास कोई श्राव मापक यंत्र अधिष्ठापित नहीं किया गया है। न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह ई–फ्लो के सम्बन्ध में पावर प्रोजेक्ट के स्थल पर उपस्थित प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि प्लांट स्टार्ट के समय उनके द्वारा इनटेक चैनल से पूरा पानी टनल में लिया जाता है। टरबाईन मशीन चलाने के उपरान्त 15 प्रतिशत लोड और कम कर विद्युत उत्पादन किया जाता है। जिससे न्यूनतम 15 प्रतिशत पानी डी–टैंक से ओवर फ्लो के रूप में नदी में वापस प्रवाहित होता है, जिसे योजना के इनटेक पर बने गेट से कन्ट्रोल किया जाता है। और ई–फ्लो के रूप में मुख्य धारा/नदी में बहता रहता है।

निरीक्षण की तिथि को स्थल पर श्राव मापन यंत्र अधिष्ठापित न होने के कारण Area Velocity विधि द्वारा स्थल पर श्राव मापन किया गया। सरयू नदी में इनटेक चैनल से पूर्व 50.65 Cusec श्राव आंकलित किया गया। जबकि इनटेक चैनल से ई–फ्लो के रूप में बह रहे श्राव का मापन 12.65 Cusec आंका गया। शिकायत कर्ता श्री गणेश सिंह पंचपाल निवासी जीतनगर, मण्डलसेरा, बागेश्वर द्वारा मशीन द्वारा लोड के अनुसार लिये जा रहे डिस्चार्ज की गणना किये जाने हेतु बताया गया।

अतः पर्वतीय पॉवर लिमिटेड (4.8 MW) मुनार परियोजना में विद्युत उत्पादन हेतु लोड के अनुसार मशीन द्वारा लिये जा रहे डिस्चार्ज के आंकलन की पुष्टि Electrical / Mechanical Engineer से कराया जाना उचित प्रतीत होता है।

15/5/24

अधिशासी अभियन्ता
जल निगम बागेश्वर

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड कपकोट

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थिति विवरण

आज दिनांक 6.5.2024 को कार्यालय उपजिलाधिकारी कपकोट, जिला-बागेश्वर के कार्यालय पत्र सं० 334/ पी०ए०/2023-24 दि० 6 फरवरी 2024 के विषय "पर्वतीय पावर लिमिटेड (4.0 MV) सुनार परियोजना द्वारा छोड़े जाने वाले प्रतिदिन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह ई फ्लो मानदंडो के उल्लंघन के सम्बन्ध में" के विषयक् गठित जाँच समिति के सदस्यों के सम्बन्धित विभागीय प्रतिनिधि के क्रम तहसीलदार कपकोट श्री आर० एस० बिष्ट सिंचाई विभाग के अधि० अभियन्ता श्री जगत सिंह बिष्ट, जल निगम के सहा० अभियन्ता श्री वी० एल० टैतेला की उपस्थिति में जाँच की गई तत्क्रम में उपस्थिति विवरण निम्नवत् है।

वी० एल० टैतेला AE (जल निगम)	जगत सिंह बिष्ट E.E (सिंचाई विभाग)	आर० एस० बिष्ट तहसीलदार कपकोट (राजस्व विभाग)

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

पर्वतीय पॉवर लिमिटेड (4.8 MW)मुनार लोहारखेत परियोजना द्वारा छोड़े जाने वाले प्रतिदिन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह ई- फ़्लो मानदंडों के उल्लंघन की फोटोज दिनांक एवं समय के साथ माह नवम्बर,दिसंबर 2024

07/11/24(07:50)

08/11/2024(07:50)

Scanned with OKEN Scanner

09/02/24(08:04)

13/11/24(08:17)

13/11/24(12:58)

Scanned with OKEN Scanner

14/11/24(08:05)

16/11/24(08:03)

17/11/24(08:07)

Scanned with OKEN Scanner

18/11/24(08:15)

19/11/24(08:04)

21/11/24(08:33)

Scanned with OKEN Scanner

22/11/24(08:04)

23/11/24(11.04)

24/11/24(08:22)

Scanned with OKEN Scanner

25/11/24(08:05)

26/11/24(07:55)

28/11/24(08:12)

Scanned with OKEN Scanner

29/11/24(08:14)

30/11/24(07:58)

01/12/24(08:18)

Scanned with OKEN Scanner

05/12/24(08:17)

06/12/24(08:25)

07/12/24(08:36)

Scanned with OKEN Scanner

08/12/24(08:03)

Scanned with OKEN Scanner

पर्वतीय पॉवर लिमिटेड (4.8 MW)मुनार लोहारखेत परियोजना द्वारा छोड़े जाने वाले प्रतिदिन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह ई- फ़्लो दिनांक 12/12/24 से जल छोड़ने की फोटोज दिनांक एवं समय के साथ।

Date and time 12/12/24(08:25)

Date and time 15/12/2024(08:25)

Scanned with OKEN Scanner

Date and time 16/12/2024(08:22)

Date and time 19/12/2024(08:14)

Scanned with OKEN Scanner

संख्या– : 708/I/2018–05/24 (Writ)/2016

प्रेषक,

राधिका झा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विकासकर्ता (सूची संलग्न),
जल विद्युत परियोजनायें,
उत्तराखण्ड।

ऊर्जा अनुभाग–01 | देहरादून : दिनांक : 5 जून, 2018

विषय– :– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) के आदेश दि0 09.08. 2017 के अन्तर्गत नदियों में न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह छोड़े जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) के द्वारा मूल आवेदन सं0–498/2015 (एम0ए0 सं0–628/2016) पुष्प सैनी बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं अन्य, में नदियों में न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह (Minimum Environmental Flow) के सम्बन्ध में दि0–09–08–2017 को निम्न आदेश पारित किया गया है :–

"We direct that all the rivers in the country shall maintain minimum 15% to 20% of the average lean season flow of that river."

इस सम्बन्ध में सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक–यूईपीपीसीबी/एच0ओ0/सा0–183–139/2017/4218–781 दिनांक 13–09–2017 के माध्यम से उक्त आदेश का अनुपालन किये जाने हेतु आदेश निर्गत किये गए हैं।

तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखंण्ड में स्थित समस्त जल विद्युत परियोजनाओं के बांध/बैराज/वियर से नदियों में सम्बन्धित विकासकर्ताओं द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 09–08–2017, पर्यावरणीय संतुलन एवं नदियों में सतत् जल प्रवाह बनाये रखने के दृष्टिगत निरंतर न्यूनतम 15 प्रतिशत लीन सीजन फ्लो छोड़ना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

Radhika

(राधिका झा)
सचिव

संख्या– 708 (2)/I/2018-05/24 (रिट)/2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित :–

1. संयुक्त सचिव (पी0एम0ओ0) भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. संयुक्त सचिव (हाइड्रो), ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली।
3. संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. संयुक्त सचिव, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
6. प्रबन्ध निदेशक, यू0जे0वी0एन0लि0 देहरादून कृपया सम्बन्धित विकासकर्ताओं से समन्वय स्थापित कर कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
7. निदेशक–ऊर्जा सैल, उत्तराखण्ड, देहरादून कृपया सम्बन्धित विकासकर्ताओं से समन्वय स्थापित कर कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र जोशी)
उप सचिव

Scanned with OKEN Scanner